न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया(गुमला)

आदेश

वाद सं0 एम0 25/2017

धारा 107 द0 प्र0 सं0

प्रथम पक्ष :— मेहरून खातुन वगैरह

बनाम

द्वितीय पक्ष :— सत्तार खान वगैरह

उक्त वाद की कार्यवाही बसिया थाना अप्राथमिकी संख्या 12/17 दिनांक 15/07/2017 के आलोक में थाना प्रभारी, बसिया के पत्रांक DR573/17 दिनांक 17/07/2017 एवं पुलिस निरीक्षक, बसिया अंचल, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में आरम्भ की गयी है। प्रतिवेदनानुसार प्रथम पक्ष को वर्ष 1997 में ग्राम बसिया में इंदिरा आवास मिला था। उक्त आवास को द्वितीय पक्ष के लोग धिनौनी साजिश रचकर कब्जा कर लिया है। वर्ष 2010 में प्रथम पक्ष के मेहरून खातुन की छः (6) वर्षीय पुत्री तराना प्रवीण गंभीर बिमारी से ग्रसित होने के कारण द्वितीय पक्ष भाई सत्तार खान से मदद मांगी तो सत्तार खान ने उन्हें मात्र 40,000.00(चालीस हजार रू0) दिया और रूपये देने के एवज में सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिया। सत्तार खान ने बड़ी चालाकी से मेहरून खातुन के हस्ताक्षर किये कागज पर एग्रीमेंट तैयार कराकर युनूस असारी पिता— युसूफ अंसारी के हाथों नगद एक लाख रूपये लेकर इंदिरा आवास खाता सं. 249, प्लॉट न0 1725 रकबा .02 डी0 को दे दिया। द्वितीय पक्ष के सगा भाई सत्तार खान से इंदिरा आवास मांग रहीं हूँ, तो मेरे सगे भाई मुझे और मेरे पति सन्नाउल्ला खान एव मेरे परिवार को जान से मारने एवं मरवाने की धमकी दे रहे है।

अतः शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए दोनों पक्षों पर धारा 107 द0 प्र0 सं0 अन्तर्गत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं इस सबंध में कारण पृच्छा की गयी। नोटिस प्राप्त कर उभय पक्ष स्वयं एवं अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब साक्ष्य सहित दाखिल किया।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि यह जमीन खाता सं0 249, प्लॉट न0 1725 रकबा .02 डी प्रथम पक्ष ने अपने पिता मजीद खान के द्वारा प्राप्त किया और उक्त भू-खण्ड पर 1997 ई0 से इंदिरा आवास बनाकर रह रही थी। वर्ष 2010 में प्र0 प0 मेहरून खातुन की बेटी तराना बीबी गम्भीर रूप से बिमार हो गयी, तब मेहरून खातुन ने अपने भाई सत्तार खान से 40,000.00(चालीस हजार रू0) ली और रूपये लेने के एवज् में सत्तार खा ने एक सादे कागज पर प्र0 प0 मेहरून खातुन से हस्ताक्षर करा लिया। मेहरून खातुन की वित्तीय स्थिति अपने बच्चे के ईलाज के कारण बहुत खराब हो गई और वह पैसा अपने भाई को नहीं लौटा सकी, जिसके कारण वह अपने भाई सत्तार खान को मकान 1000.00(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से किराया पर दिया। जब 01.07.2017 को मेहरून खातुन वापस आई तो उसने देखा कि उसके मकान पर युनूस अंसारी और उनकी 4 पत्नी जन्मती खातुन अवैध रूप से मकान में रह रही है। जब मेहरून खातुन अपने

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)

पिता– मजीद खान के साथ द्वितीय पक्ष के युनूस अंसारी और उसकी पत्नी को इंदिरा आवास खाली करने को बोली तो युनूस अंसारी पूरे परिवार के साथ गाली-गलौज की और द्वितीय पक्ष के सभी लोग प्रथम पक्ष मेहरून खातुन और उसके पिता–मजीद खान के साथ मार-पीट किये। द्वितीय पक्ष के सत्तार खान बिना हक वो सरोकार के प्रथम पक्ष के इंदिरा आवास को युनूस अंसारी को गलत तरीके से दे दिया और प्रथम पक्ष के इंदिरा आवास को खाली नहीं कर रहा है। द्वितीय पक्ष संख्या बल में अधिक है। और प्रथम पक्ष एक महिला है। इसलिए द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष पर कभी भी हमला कर सकता है। अतः प्रथम पक्ष के इंदिरा आवास को द्वितीय पक्ष के अवैध कब्जा से मुक्त कराने एवं द्वितीय पक्ष से बंध पत्र भी प्राप्त किया जाय।

द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा किया गया दावा गलत, झूठा एवं कानून के विरूद्ध खारिज करने योग्य है। प्रथम पक्ष के द्वारा लालच में आकर एवं लोगों के बहकावे में आकर किया गया है। द0 प्र0 सं0 धारा 107 के अन्तर्गत इनकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। धारा 107 द0 प्र0 सं0 अन्तर्गत जमीन का हक हकीयत का फैसला नही तो सकता और न मकान खाली कराया जा सकता है और न किसी को दखल दिया जा सकता है। द्वितीय पक्ष के सदस्य की ओर से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और न ही द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष के साथ कभी कोई धमकी, मारपीट या झंझट नहीं किये है। प्रथम पक्ष द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया को दिए गए आवेदन के आवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को 1997 में एक इंदिरा आवास मिला था। जिसे मेरा भाई कब्जा में कर लिया और 2010 में मेरी पुत्री बिमार हो गई तो सगे भाई सत्तार खान से रूपये की मदद मांगी। सत्तार खान ने मुझे 40,000.00(चालीस हजार रूपये) दिया और बदले में एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया। मैं अपनी बच्ची का ईलाज रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में कराई एवं ईलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गयी। पूरा परिवार परेशान रहा एवं इसी बीच सत्तार खान चालाकी से मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए कागज पर एग्रीमेन्ट तैयार कर युनूस अंसारी पिता–स्व0 युसूफ अंसारी के हाथ नगद एक लाख रूपये लेकर मेरा इंदिरा आवास खाता 249, प्लॉट 1725 को दे दिया। जब मैं घर वापस आयी तो देखी कि मेरा इंदिरा आवास वाले घर में एक परिवार रह रहा है, तब भाई सत्तार खान से पूछ.ताछ किया तो सत्तार खान ने बताया कि चालीस हजार रू0 जो दिया था वह युनूस अंसारी का था इसलिए युनूस अंसारी को किराएदार के रूप में रहने के लिए दे दिया हूँ, जो तीन साल पूरा हो जाएगा तो वह घर वापस कर देगा किन्तु आज सात साल पूरा हो गया पर मेरा इंदिरा आवास को नहीं छोड़ें है। जब मैं इंदिरा आवास की मांग कर रहीं हूँ तो मेरा भाई मुझे, मेरे पति एवं परिवार वालों को मारने की धमकी दे रहा है। मेरा भाई युनूस अंसारी के साथ मिलकर मेरा घर हड़पने का प्रयास कर रहा है। दिनांक 01.07.2017 को मेरे पिता मजीद खान युनूस अंसारी को इंदिरा आवास खाली करने को बोले तो पूरे परिवार को गाली-गलौज किया। इसमें मेरा भाई इनकी मदद कर रहा है। उपरोक्त आवेदन से स्पष्ट है कि यह दीवानी मामला है, धोखा देने का मामला है। थाना से प्राप्त प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट होता है कि थाना के द्वारा कोई जांच नहीं की गयी। विवादित जमीन कैसी है, यह भवन इंदिरा आवास है, या नहीं, इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी। प्रथम प्रक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष उनके पिता मजीद खान को मारकर जख्मी कर दिये, जबकि न कोई डाक्टर का जख्मपत्र है और न कोई ईलाज संबंधी रिपोर्ट विवादित जमीन को प्रथम पक्ष अपनी राजी खुशी से दिनांक 06.06.2009 को जन्मति खातुन के बिक्री कर दिये। बिक्रीनामा स्टाम्प पेपर पर बनाकर 50,000.00(पचास हजार रूपये) पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिये । प्रथम पक्ष का यह कहना कि सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया कहना गलत है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह कहना कि 1997 में इदिरा आवास मिला था इसके संबंध में प्रखण्ड से सूचना के अधिकार के तहत् रिपोर्ट की मांग की गयी थी। जिसके जवाब में प्रखण्ड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है कि 1997 की अवधि का अभिलेख एवं पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)

इससे स्पष्ट है कि 1997 में प्रथम पक्ष के नाम से कोई इंदिरा आवास नहीं मिला था। विवादित जमीन खाता सं 249, प्लॉट 1725 रकबा .02डी0 गैरमजुरूआ जमीन है। जिसे बंदोबस्ती हेतु विपक्षी जन्मती खातुन ने अंचल कार्यालय में 2009 में आवेदन दिया। इसका आम ईश्तहार भी निकला था पर किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं हुई। फलतः इसे जन्मति खातुन के नाम बंदोबस्ती किया गया एवं दखल दिया गया। धारा 107 द0 प्र0 सं0 पक्षकारों के बीच शांति बनाए रखने के लिए है इसमें जमीन संबंधी फैसला नहीं किया जा सकता। यदि प्रथम पक्ष के साथ कोई छल प्रपंच कर जमीन हड़पा गया है, तो प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में केश कर सकती है। प्रथम पक्ष जान बुझकर लालच में आकर गलत आरोप लगा कर विपक्षीगण को परेशान कर रही है। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा लगाए गए वाद द्वितीय पक्ष के विरूद्ध खारीज किया जाय एवं प्रथम पक्ष को बाउण्ड किया जाए।

इस विवाद में भूमि संबंधी विवरणी भी अंचल अधिकारी, बसिया के कार्यालय पत्रांक 386/रा0 दिनांक 14/07/2017 द्वारा प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार प्रासंगिक भूमि मौजा बसिया के थाना सं- 50 खाता 249, प्लॉट न 1725 रकबा .02 एकड़ मजीद खान पिता- स्व0 हेयात खान के नाम गृहस्थल योजना के अन्तर्गत दी गयी है एवं वाद सं 03/87-88 द्वारा बंदोबस्त किया गया है। यह जमीन गैरमजुरूआ मालिक खाते की जमीन है एंव बंदोबस्ती में प्राप्त जमीन का विरासत में हस्तान्तरण हो सकता है एवं इस प्रकृति की राशि का अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण वैध नहीं है। उभय पक्षों द्वारा गवाह भी प्रस्तुत किए गए। प्रथम पक्ष की ओर से मजीद खान पिता अयाद खान ग्राम बसिया उम्र 85 वर्ष उपस्थित होकर लिखित रूप में बतलाते है कि यह भूमि गैरमजुरूआ भूमि है जिसका सारा कागजात सत्तार खान ले गये है। सत्तार खान मेरा बेटा है। समझाने पर बेटा मुझको मारा है, जिससे मेरा कान सुनाई नही देता है। मुझे .04डी बंदोबस्ती हुआ था, जिसमें .02डी पर घर है, एक में हमलोग बुढा-बुढी रहते है। दूसरे घर में विवाद है। बड़ा बेटा का स्वर्गवास हो गया है। सत्तार खान छोटा बेटा है। वह अपना घर बनाकर रहते है। मेरी तीन बेटी है। तीनों को जमीन दिया है। बेटी को सत्तार खान 40,000.00(चालीस हजार रू0) खोजकर दिया था, जिसमें 5000.00 रू0 सत्तार खान लिया एवं 35,000.00(पैतीस हजार रू0) केवल हमें मिला। जमीन बेटी को दिए जिसमें युनूस का भाई मुस्तकीम रहता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूछा गया कि आपकी कुल कितनी जमीन है। गवाह बतलाते है कि मेरे नाम पर .04डी एवं पत्नी के नाम पर .15 डी जमीन है। .04डी0 जमीन जो इनके नाम पर है, पूछे जाने पर चौहदी नहीं बतलाते है। पश्चिम में परती है। पत्नी की जमीन का चौहदी भी वहीं है। इंदिरा आवास मेहरून के नाम से मिला है। एक इंदिरा आवास पत्नी रविसन खातुन एंव पतोहू नाईमा खातुन के नाम से मिला है। पत्नी को किस वर्ष मिला पूछने पर बतलाते है कि सत्तार बतलाऐंगें जबकि सत्तार का कहना है कि कोई इंदिरा आवास नहीं मिला है गवाह बतलाते है कि बेटी को दिए गए .02डी0 जमीन का कोई कागजात नहीं है। पंचनामा पर लिखे हस्ताक्षर को नकारते है एवं बतलाते है कि ये ठेपाधारी है। इसका विरोध द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा करते हुए साक्ष्य स्वरूप पूर्व में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर जो मामला चला था, उसके पंचायती के कागज पर मजीद खान के हस्ताक्षर को दर्शाते हुए कहते है कि ये झूठ बोल रहें है, मेहरून निशा क्या कह कर केश की है। इसकी भी जानकारी इनको नहीं है। इस पर गवाह मजीद खान द्वारा विरोध करते हुए दण्डाधिकारी को बतलाया गया है कि ऐसी बात नहीं है कि मेहरून निशा 40,000.00 रू0 लेकर जमीन बिक्री की है। यह सत्य नहीं है अपनी बेटी के चलते वे झूठी गवाही दे रहे है।

द्वितीय पक्ष द्वारा भी अपने ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया। कलीम अहमद उम्र 68 वर्ष पिता–जमहिर अहमद ग्राम- बसिया उपस्थित होकर बतलाते है कि ये उभय पक्षों को जानते है। जमीन गैरमजुरूआ प्लॉट है। सत्तार खान इंदिरा आवास अपना बनाए है। मजीद खान अपना घर 60-61 में बनाए है।

13/07/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

मकान बिक्री के लिए गवाह बनने को कहा गया मकान की बिक्री युनूस अंसारी की पत्नी जन्मती खातुन को किए है। बिक्रीनामा कागज पर मेरे सामने मेहरून निशा हस्ताक्षर की एवं रूपये लिया। डोक्यूमेंट लिखा हुआ था बाद में गवाह के रूप में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया गया। साल याद नहीं है। करीब 15 पन्द्रह वर्ष पहले यह कागज बना है। देव कुलिस दूसरे गवाह है। बिक्री कागज बनने के बाद से युनूस अंसारी उसमें रहते है। युनूस या सत्तार की ओर से कोई विवाद नहीं है। यह विवाद प्रथम पक्ष के मेहरून निशा की ओर से लाया जा रहा है। मेहरून निशा को इंदिरा आवास मिला था, अथवा नहीं इसकी जानकारी नही है। साथ हीं .02 डी0 जन्मती के नाम पर बंदोबस्त हुआ था या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।

द्वितीय पक्ष की ओर से द्वितीय गवाह देवकुलिस राम पिता– स्व0 सुकरा राम पेशा दर्जी बतलाते है कि मेहरून निशा मकान बेचने वाली है इसकी गवाही पर हस्ताक्षर कर दो यह कहकर युनूस खान ने मेहरून निशा को पचास हजार रू0 दिया।दोनों पक्षों के कहने पर कागजात पर मैनें हस्ताक्षर किया। मेरे द्वारा ही लिखकर कागज पढ़कर सुनाया भी गया। इनके आपस के झगड़ा के बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है।

उभय पक्षों के लिखित बहस अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन एवं उपस्थित गवाहों के बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि गैरमजुरूआ मालिक किस्म की है, जिसकी बंदोबस्ती मजीद खान के नाम पर है। इसका हस्तांतरण संभव नही है फिर भी द्वितीय पक्ष ने गलत तरीके से कागजात पर मजीद खान का फर्जी हस्ताक्षर लेकर इनके घर को क्रय करने का प्रयास किए है, जो पूर्णतः अवैध है। इस भूमि एवं मकान को मेहरून खातुन को बिक्री करने अथवा बिक्री संबंधी कागजात तैयार करने का हक नहीं है। उक्त परिस्थिति में द्वितीय पक्षकार सत्तार खान, युनूस अंसारी, जन्मती खातुन ने मेहरून खातुन की बिमारी एवं आर्थिक तंगी का फायदा उठा कर अहस्तांतरणीय भूमि एंव मकान को अपने नाम पर लिखवाया। तब से ये इस मकान एंव भूमि पर बगैर किसी मालिकाना हक के दखलकार है। मेहरून खातुन द्वारा इसे मांगे जाने पर धमकाते एवं जान मारने की धमकी देते है।वाद की कार्रवाई के दौरान मेहरून खातुन इनके द्वारा ली गई राशि वापस करने की इच्छा जाहिर की परन्तु ये अत्यधिक उद्दण्ड प्रवृति के व्यक्ति है और किसी भी परिस्थिति में मकान इन्हें नहीं देने की बात उद्दण्डता पूर्वक करते है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के सभी पक्षकार शांति व्यवस्था भंग करने हेतु पूर्णतः दोषी है। अतः द्वितीय पक्ष के सभी पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि 5000 रू0 (पांच हजार रू0) की दो प्रतिभूति के साथ एक साल तक शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु बंध पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

23/07/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

23/07/18
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 13:27:30 +05:30
Location: 192.168.0.112